

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1942-S.R.C. PHARMACY COLLEGE RASOOLPUR, GOWARDHAN, MATHURA			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60
2	P.G. DIPLOMA IN ACCOUNTACY (WITH COMPUTERISED ACCOUNTS & TAXATION)	0	0
3	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	0	0
4	HOME SCIENCE	0	0
5	P.G.DIPLOMA IN TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT	0	0
6	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	0	0

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण

समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा

ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, S.R.C. PHARMACY COLLEGE RASOOLPUR, GOWARDHAN, MATHURA



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राजिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या— प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय आप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मिणी कालेजियल अफ इन्जिनरिंग, नई दिल्ली द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु शिक्षा सेवा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अखिल, प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अग्रेडिटेड नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित जन्म मर्जी पर विचार कर्तव्य हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसरण में सम्बद्धता समिति की बैठक के मत-3 में जिससे इन पारमेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श का निष्पत्ति निर्णय लिया गया -

"निम्नी तौर में संचालित शिक्षा इन कर्मिणी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा पूर्ण पश्चात् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आगूत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न सूची को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित तर्कों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं इसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. संख्या	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईई /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1942 एमआरआई कर्मिणी कॉलेज गुरुपुर, मोहरी, गुजरात।	किरॉस इन कर्मिणी	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एमआरआई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एएल 1882 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1882, सेमेस्टर विनियमवली-2019 तथा अन्य निर्मित विनियम एवं शर्तों का अनुसरण करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के हिसाब से पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कर्मिणी पाठ्यक्रम हेतु रु०-40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कर्मिणी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शायद द्वारा निर्णय किये जाने वाले लखनऊ/उत्तरी शर्तों, और अनुसरण कार्यवाही किया

(Handwritten mark)

जाया जायसक होय। पीस निर्देशन समिति द्वारा जीए नंबर 2020-21 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो पीस की मॉडिफिकेशन पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उच्च) प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा एम. सी. समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमन-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा; सीटों की विभा 18 नए की स्थिति में प्रस्ताव प्रवेश सातन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आगवारेस को अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को (आयोजनाधिकारियों/प्रीवेंटिव) से जगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था प्रस्ताव प्रवेश सातन द्वारा कराये गये विधि/विधियों/अयोग्यता/सातनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशन, प्राथमिक शिक्षा उच्च, उच्चतर प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर द्वारा कराये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने की शिरे बंधा होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को लम्बाई अर्द्ध पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस समय में समस्त उच्चतराधिकार संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्थल उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशन एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशन उच्चतर प्रवेश सातन को कोई सब कार्य किया जाता है तथा समय-समय पर संस्था में या भाग्यक्रम द्वारा किसी प्रकार की उचित/सर्वोत्तम प्रवेश निर्देश किया जाता है जो समस्त उचित/सर्वोत्तम संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संतुष्ट प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर प्रवेश सातन द्वारा प्रवेशकों को के लिए अयोग्यता प्रवेश परीक्षा हेतु सातनादेशों प्राप्त होने से पूर्व (प्रीवेंटिव) से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद सातनादेशों को पालन कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (सातनादेशों) से सम्बन्ध से बंधा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्चतर प्रवेश सातन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत मॉडिफिकेशन आगवारेस विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की प्रतिस्पर्धिक सुविधाएँ, छात्र, छात्र-छात्रा, आयोजना, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, आगवारेस शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-प्रविष्टन हेतु उच्चतर आगवारेस उपलब्ध कराने के साथ शिरो रोकने की सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित ही है कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को बनाने वाले हेतु निर्देशन समिति को संस्था उत्तरदायी कराने परे अयोग्यता सुनि-मान, फार्मेशन, आगवारेस इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को अयोग्यता में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था अयोग्यता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता सम्बन्ध किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने तथा शर्तों का अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में विद्यमान उच्चतर अनुशासनपरक कार्यवाही की जाएगी।

(राम अशोक सिंह)
सचिव

पृष्ठ-01- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तारीख- 15-08-2020

परीक्षिका-प्रधानाचार्य/निदेशक, एम.सी.एन.सी. फार्मसी कॉलेज, रसूलपुर, गौआन, मधुवा।

(राम अशोक सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ, दिनांक: 13-5-2019

—कार्यालय ड्राप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2018-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के त्वागत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रेषण क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सट-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली नई संस्था का उद्घरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय लिया गया :-

एफ़ाईएनटीएफ़ईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संसुति सत्र 2018-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित आसम्भिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीएनटीआईए अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के त्वागत ही की जाएगी।”

अतः निम्नानुसार संयोजित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा भी गयी संसुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निम्नान्तित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उद्घरण अंकित प्रेषण क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	एफ़ाईएनटीएफ़ईए/पीएनटीआईए द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रेषण क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रेषण क्षमता
1	1982	एफ़ाईएनटीए फार्मसी कॉलेज, मद्रास, पोर्बंदर, मद्रास	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ संस्था एफ़ाईएनटीएफ़ईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शैक्षिक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्टीर पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम से अतिरिक्त) हेतु रु० 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही अर्पित करेगी/कराता से अर्पित किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के शुल्क के सम्बन्ध में समझ-संगत पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले आसमादेशों का पूर्णतः पालन करेगी और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण

